कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद टिहरी गढ़वाल (185)

पत्रांकः म–72/2006 दिनांकः– 03 –03–2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नई टिहरी, टिहरी गढवाल।

विषयः– जनपद टिहरी गढवाल में घनसाली थाने के निर्माण हेतु 0,2 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु गृह विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– अपर सचिव वन एवं पर्यावरण अनुभाग–04 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–416/X-4-16/01(118) दिनांक–20.07.2016 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्द्रानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड का पत्रांक–305/FP/UK/OTHERS/13110/2015, दिनांक–23.07.2016।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या निम्नानुसार हैः–

क0 सं0	शर्त	अनुपालन
1	शासन की शर्त सं0–01 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि–रू0 8,17,300/– (आठ लाख सत्रह हजार तीन सौ मात्र) वन विभाग के पक्ष में जमा किया जायेगा।	शर्त सं0–01 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि–रू0 8,17,300/– (रूपये आठ लाख सत्रह हजार तीन सौ मात्र) वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। (चालान की प्रति सलंग्न है)
2	शासन की शर्त सं0–02 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995, दिनांक–05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि मु0–131400,00 (एक लाख इकतिस हजार चार सौ मात्र) जमा किया जायेगा।	शासन की शर्त सं0–02 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995, दिनांक–05.02. 2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि मु0–131400,00 (एक लाख इक्कतीस हजार चार सौ मात्र) जमा किया जा चुका है। शर्त सं0–01 व 02 की कुल धनराशि रू0–9,48,700/– (रू0 नौ लाख अड़तालीस हजार सात सौ मात्र) वन विभाग के पक्ष में खाता

		संख्या:–1508919913110053 (CORPORATION BANK LODHI COMPLEX BRANCH NEW DELHI) IFSC CODE-CPRPOOOO371 में जमा की जा चुकी है, (चालान प्रति सलंग्न–1)
3	शासन की शर्त सं0–03 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत की जायेगी कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	शासन की शर्त सं0–03 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण यदि एन0पी0वी0 की दर में में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु बचनबद्ध है। (चालान प्रति संलग्न है।
4	शासन की शर्त सं0–04 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय की रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0–05.03.2007–एफ0सी0, दिनांक–05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियों की धनराशि का आंकलन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर ऑनलाईन अपलोड करेगा जिसे नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापित करने के पश्चात प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन प्रकिया से प्राप्त चालान के अनुसार जमा करेगा तथा बैंक द्वारा जारी पुष्टि का पत्र मय संलग्नक प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। तत्पश्चात म्यूटेशन का विवरण अपलोड किया जायेगा। तत्पश्चात प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में आधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित ऑनलाईन अपलोड किया जिसे प्रभागीय वनाधिकारी व नोडल अधिकारी के माध्यम से विधिवत स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को ऑन लाईन हार्ड कापी प्रेषित किया जायेगा।	शासन की शर्त सं0 04 के अनुपालन में कुल में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995, दिनांक–05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि मु0–131400,00 (एक लाख इक्कतीस हजार चार सौ मात्र) जमा किया जा चुका है। शर्त सं0–01 व 02 की कुल धनराशि रू0–948700/– (रू0 नौ लाख अड़तालीस हजार सात सौ मात्र) वन विभाग के पक्ष में खाता संख्या:–1508919913110053 (CORPORATION BANK LODHI COMPLEXBRANH NEW DELHI) IFSC CODE-CPRPOOOO 371 में जमा की जा चुकी है, जिसका चालान सलंग्न है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरूपित शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्न कर ऑनलाईन अपलोड किया जा चुका है।(चालान की प्रति सलंग्न है)
5	शासन की शर्त सं0–05 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यालयकी संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र दिया जायेगा।	शासन की शर्त सं0–05 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यालय की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जाने हेतु बचनबद्ध है , जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

6	शासन की शर्त सं0–06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	शासन की शर्त सं0–06 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र संलग्न है।
7	शासन की शर्त सं0–07 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में सभी निहित निर्धारित शर्तो का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।	शासन की शर्त सं0–07 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में सभी निहित निर्धारित शर्तो का कडाई से अनुपालन किया जायेगा। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या संलग्नको सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सलंग्न–यथोपरि वर्क।

(तृप्ति भट्ट)
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
टिहरी गढ़वाल।

<u>प्रमाण पत्र</u>

(1827)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भू वैज्ञानिक संस्तुतियों एवं सुझावों का पूर्णतया अनुपालन किया जायेगा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
टिहरी गढ़वाल।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुयी दरों पर एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जायेगी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
टिहरी गढ़वाल।

(190)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृतियों में निर्धारित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन किया जायेगा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
टिहरी गढ़वाल।

(179)

शासन की शर्त सं0–07 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में सभी निहित निर्धारित शर्तो का कडाई से अनुपालन किया जाने विषयक प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन की शर्त सं0–07 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में सभी निहित निर्धारित शर्तो का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
टिहरी गढवाल।

भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जाने का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

— प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यालय की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
टिहरी गढवाल।

एन0पी0वी0 की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का वचनवद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि सक्षम स्तर से शुद्ध एन0पी0वी0 की दरो में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा जमा की जायेगी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
टिहरी गढवाल।

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-03-2021

Agency Name.	**S.P OFFICE TEHRI**
Application No.	**19913110053**
MoEF/SG File No.	**1(118)/2016**
Location.	**UTTARANCHAL**
Address.	**S.P OFFICE NEW TEHRITehri Garhwal**
Amount(in Rs)	**948700/-**

Amount in Words :Nine Lakh Forty-Eight Thousand Seven Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	**UTTARANCHAL CAMPA**
IFSC Code:	**CORP0000371**
Pay to Account No.	**1508919913110053** **Valid only for this challan amount.**
Bank Name & Address:	**Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-03-2021

Agency Name.	**S.P OFFICE TEHRI**
Application No.	**19913110053**
MoEF/SG File No.	**1(118)/2016**
Location.	**UTTARANCHAL**
Address:	**S.P OFFICE NEW TEHRI Tehri Garhwal**
Amount(in Rs)	**948700/-**

Amount in Words :Nine Lakh Forty-Eight Thousand Seven Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	**UTTARANCHAL CAMPA**
IFSC Code:	**CORP0000371**
Pay to Account No.	**1508919913110053** **Valid only for this challan amount.**
Bank Name & Address:	**Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

प्रमाणित

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
टिहरी गढ़वाल

(127)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :–

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ——
तहसील —— जिला ——

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद —— के अन्तर्गत —— परियोजना के निर्माण हेतु (0.20 हे0 आरक्षित वन भूमि, —— हे0 सिविल सोयम भूमि —— हे0, वन पंचायत भूमि —— हे0) अर्थात कुल 0.20 हे0 वन भूमि का —— विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत —— द्वारा दिनांक 2.3.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम —— के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि —— प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत वि0 अधिकारी
ग्राम ...... ग्राम सचिव
वि0 ख0 भिलंगना, टि0 ग0

ह0
ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(176)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– मोटर मार्ग ग्राम धनौल्टी

कार्यालय उप जिलाधिकारी, धनौल्टी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ————

उपखण्ड धनौल्टी परिक्षेत्र के अन्तर्गत ———————— (0.20 हे0 आरक्षित वन भूमि, — हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि —— हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.20 हे0 वन भूमि) का ———— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील धनौल्टी) की दिनांक ———— को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री ———— उपजिलाधिकारी ———— अध्यक्ष
2– श्री ———— उप प्रभागीय वनाधिकारी ———— सदस्य
3– श्री ———— सहायक समाज कल्याण अधिकारी ———— सदस्य/सचिव
4– श्री पारेश्वर प्रसाद बी0डी0सी0 क्षेत्र ———— सदस्य

पारेश्वर प्रसाद बडोनी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत वार्ड–37 (पिलर)
विकास खण्ड थौलधार [illegible]

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मोटर मार्ग ग्राम धनौल्टी ———————— परियोजना हेतु 0.20 हे0 वन भूमि ———————— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ———— द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड......................परिक्षेत्र के अन्तर्गत ....परियोजना के निर्माण हेतु.....20.......है0 वन भूमि..............................प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। (169)

उप जिलाधिकारी/ अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील ....
जनपद ....

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी, ..टि.गा......................को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उप जिलाधिकारी/ अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील ....
जनपद ....

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद टिहरी गढ़वाल।

पत्रांकः भ–72 / 2006(स्थाई) दिनांक, जनवरी 9 ,2024

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी
<u>जनपद टिहरी गढवाल।</u>

कृपया अपने पत्र संख्या 1214 / 12–1 नई टिहरी, दिनांक 20–12–2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद टिहरी गढवाल के स्थान घनसाली में पुलिस थाना घनसाली के निर्माण हेतु 0.2 है0 वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु गृह विभाग को प्रत्यावर्तित किये जाने की कार्यवाही के कम में पूर्व में, पुरानी दरों से जमा की गई एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 1,31,400 / – (एक लाख इकत्तीस हजार चार सौ मात्र) को, संशोधित दरों पर पुनर्निर्धारित एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 2,01,042 / – (दो लाख एक हजार बयालीस मात्र) में समायोजित करने के उपरान्त, अवशेष धनराशि रू0 69,642 / – (रू0 उनहत्तर हजार छः सौ बयालीस मात्र) को ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा करवाकर अवगत कराने की अपेक्षा की गई है।

उक्त सम्बंध में अवगत कराना है कि आपके उपरोल्लिखित पत्र में की गई अपेक्षानुसार संशोधित दरों पर एन0पी0वी0 की धनरशि के पुनर्निर्धाण के फलस्वरूप एन0वी0पी0 की अवशेष राशि रू0 69,642 / – (रू0 उनहत्तर हजार छः सौ बयालीस मात्र) ऑनलाईन चालान के माध्यम से दिनांक 27–12–2023 को वन विभाग द्वारा दिये गये बैंक अकाऊण्ट में जमा कराई जा चुकी है। चालान की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रश्नगत वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु यथाशीघ्र अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
टिहरी गढ़वाल।

जमा दि० 27/12/2023

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-12-2023

Agency Name.	**S.P OFFICE TEHRI**
Application No.	**19913110685**
MoEF/SG File No.	**1(118)/2016**
Location.	**UTTARANCHAL**
Address.	**S.P OFFICE NEW TEHRITehri Garhwal**
Amount(in Rs)	**69642/-**

Amount In Words :Sixty-Nine Thousand Six Hundred and Forty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	**UTTARANCHAL CAMPA**
IFSC Code:	**UBIN0996335**
Pay to Account No.	**1508919913110685** Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	**Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-12-2023

Agency Name.	**S.P OFFICE TEHRI**
Application No.	**19913110685**
MoEF/SG File No.	**1(118)/2016**
Location.	**UTTARANCHAL**
Address:	**S.P OFFICE NEW TEHRI Tehri Garhwal**
Amount(in Rs)	**69642/-**

Amount In Words :Sixty-Nine Thousand Six Hundred and Forty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	**UTTARANCHAL CAMPA**
IFSC Code:	**UBIN0996335**
Pay to Account No.	**1508919913110685** Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	**Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA NEW TEHRI TOWNSHIP 06981 नई टिहरी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
टिहरी गढ़वाल

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
टिहरी गढ़वाल

SBIN323361149813.

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376–232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

त्रांक : 1214 /12–1 नई टिहरी, दिनांक– 20/12/ 2023

वा में,

पुलिस अधीक्षक,
टिहरी गढ़वाल।

षय :– **जनपद–टिहरी गढ़वाल के घनसाली पुलिस चौकी के निर्माण हेतु 0.2 है0 वन भूमि का वानिकी कार्यों हेतु गृह विभाग को प्रत्यावर्तन करनें के संबंध में।**
PROPOSAL NO.- FP/UK/Others/13110/2015

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–5–3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022 एवं नोडल कार्यालय का पत्रांक–667/FP/UK/Others/13110/2015, दिनांक–6.09.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–416/X-4-16/01(118)/2016 दिनांक 20.07.2016 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें एन0पी0वी0 की धनराशि पुरानी दरों पर जमा की गई है। भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र से जारी दिशा–निर्देश के अनुसार ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण जिनमें 06 जनवरी 2017 से पूर्व सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा दिनांक 06 जनवरी 2022 तक विधिवत् स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है में एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। **(प्रति संलग्न है)**

भारत सरकार के उक्त पत्र से जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का आंकलन निम्न प्रकार है–

1.	ईको–क्लास श्रेणी	=	V^{th}
2.	हरियाली का घनत्व (प्रतिशत)	=	0.1(10%)
3.	एन0पी0वी0 की दर (प्रति है0)	=	10,05,210.00
4.	आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (है0)	=	0.2
5.	कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रुपये)	=	2,01,042.00
6.	पूर्व में जमा की गई एन0पी0वी0 धनराशि (रुपये)	=	–1,31,400.00
7.	**वर्तमानमें देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रुपये)**	–	**69,642.00**

(2,01,042.00 – 1,31,400.00) उनहत्तर हजार, छः सौ बयालीस मात्र की धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जानी है।

अतः उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आंकलित धनराशि उच्च स्तर से सत्यापित होने के पश्चात् ही कैम्पा कोष में जमा करने के उपरान्त प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की संशोधित अनुपालन आख्या ऑनलाईन करते हुए प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

HC

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या– /दिनांकित। 21-12-23
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

BC 22/12

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।